

## प्रेस नोट

दिनांक 25.03.2025

### थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

#### कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-432/23, धारा 420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दर्शन लाल प्रजापति पुत्र ननकू नि0 ग्राम देवरदा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को ग्राम देवरदा से गिरफ्तार कर लिया गया।

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2023 को वादिनी ऊषा सिंह पत्नी श्रवण कुमार सिंह नि0 गायत्री पुरम सिविल लाइन थाना को0 नगर की तहरीर पर थाना को0 नगर में धोखाधड़ी कर प्रार्थिनी की बैनामा शुदा जमीन को विपक्षीगणों द्वारा किसी और को बैनामा कर देने के सम्बन्ध में 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 25.03.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त दर्शन लाल प्रजापति को ग्राम देवरदा से गिरफ्तार कर लिया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दर्शन लाल प्रजापति पुत्र ननकू नि0 ग्राम देवरदा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 432/23, धारा 420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 केदार रामा
02. उ0नि0 अविनाश सिंह।
03. का0 विनय प्रतापा

#### मीडिया सेल, गोण्डा।

## प्रेस नोट

दिनांक 25.03.2025

### थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

#### कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-282/24, धारा 303(2) बी0एनएस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रक्षाराम पुत्र रामकैलाश नि0 ग्राम रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को रामापुर भैसहा रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार चोरी के 2100 रू0 बरामद किया गया।

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.11.2025 को वादिनी अनीता देवी पत्नी स्व0 राममूर्ति नि0 ग्राम रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रक्षाराम द्वारा उनके घर में घुसकर मोबाइल फोन व 9,000 रू0 की चोरी की गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 25.03.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रक्षाराम को रामापुर भैसहा रोड पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 2100 रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रक्षाराम पुत्र रामकैलाश नि0 ग्राम रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-282/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी-

01. 2100 रू0 नगद

#### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह मय टीम।

#### मीडिया सेल, गोण्डा।